Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

भोजराज बनाम नानगराम वगै0

किस्म मुकदमा.................225 आर टी एक्ट............अपील संख्या 68 /2024

GCMS NO 2024/--------

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.24	अपील श्री रमेश चंद गोयल अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट /प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट पेश किया जाकर ग्राम कुश्तला की आराजी ख0न0 2711 रकबा 0.37 है0 एवं ख0न0 5713/2711 रकबा 1.68 है0 भूमि को अप्रार्थीगण अन्य दीगर व्यक्ति को रहन,बय हस्तान्तरित नही करने एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने की इस्तदुआ चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्थगन अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 10.10.24 तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं आगामी पेशी पर उक्त आदेश न्यायालय को उपयुक्त लगने पर आदेश की कियान्विति किये जाने के आदेश पारित किये जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। तत्पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली दिनांक 18.9.24 को पेशी पर ली गई जिस पर प्रार्थी/अपीलांट अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया। जिसमे प्रार्थना पत्र की बहस हेतु दिनांक 27.9.24 नियत की गई। दिनांक 24.10.24 को प्रार्थी/अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। जिसकी बहस हेतु दिनांक 4.11.24 नियत की गई। दिनांक 18.11.24 को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हटाने हेतु निवेदन किये जाने पर आदेश हेतु दिनांक 27.11.24 नियत की गई। दिनांक 27.11.24 को पीठासीन अधिकारी के व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक 29.11.24 नियत की गई। दिनांक 29.11.24 को वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 8 तथा 9 ने निवेदन किया कि प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 6,7,10 व 11 की मृत्यु हो चुकी है। न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.6.24 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है। प्रार्थी वकील द्वारा फौत हुए व्यक्तियो के विरूद्व एक पक्षीय आदेश लिया है। फौत हुए व्यक्तियो के विरूद्व स्थगन आदेश लेने के कारण उक्त आदेश त्रुटि पूर्ण है। जिसकी कियान्विति आगे किया जाना उचित नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष मे जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाने के आदेश पारित किये गये है। चूकि: प्रार्थी/अपीलांट वकील द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे मृत व्यक्तियो के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के ध्यान मे लाये बिना ही जारी करवाई गई है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार हटाई गई है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को हटा[illegible] जो अंतिम निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। इस प्र[illegible] न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक होने [illegible] किया जाना उचित प्रतीत नही होने [illegible] ही खारिज योग्य है। अतःअपील [illegible] पत्रावली मे आवश्ययक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner